

**लोक प्राधिकार की बाध्यताएं**  
**प्रशाखा-8, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।**

(1)	संस्थाओं के कार्य, कर्तव्य एवं अन्य ब्यौरा।	योजना शाखा-8 से संबंधित नहीं है।
(2)	अपने पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्ति तथा कर्तव्य।	कृषि निदेशालय बिहार में शक्ति कृषि निदेशक, बिहार में निहित है। पदाधिकारी तथा कर्मचारी कृषि निदेशक, बिहार के प्रति उत्तरदायी है।
(3)	संस्थान में निर्णय करने संबंधी अधीक्षण और उत्तरदायित्व संबंधी प्रक्रिया।	शाखा से संबंधित नहीं है।
(4)	कार्य करने के लिए स्थापित मापदंड।	विभाग से संबंधित।
(5)	अपने कार्य के निष्पादन के लिए विभाग द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले नियमों, आदेशों अभिलेखों एवं संहिताओं का विवरण।	विभाग से संबंधित।
(6)	विभाग के पास उपलब्ध विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों की सूची तैयार करना।	विभाग से संबंधित।
(7)	निर्णय लेने की प्रक्रिया में सर्वसाधारण जनता से सलाह / मशविरा लेने की कोई व्यवस्था है तो उसका ब्यौरा।	विभाग से संबंधित।
(8)	न्यास परिषद, समिति या अन्य कोई व्यवस्था जिसमें दो से अधिक सदस्य हों, उसका उल्लेख। ये बैठकें सर्वसाधारण के लिए खुली है या नहीं, इनका कार्य विवरण जनता की उपलब्ध है या नहीं, उनका पूर्ण विवरण।	प्रशाखा-8 से संबंधित नहीं है।
(9)	अपने पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की डायरेक्ट्री।	1. श्री आदित्य नारायण राय, उप कृषि निदेशक(प्रसार)-सह-प्रभारी पदाधिकारी, योजना। 2. श्री शिवाजी प्रसाद, प्रशाखा पदा0-8 3. श्री कवीन्द्र कुमार, सहायक 4. श्री वाशिद इकबाल सांख्यिकी सहायक 5. श्री सत्य प्रकाश वर्मा, सांख्यिकी सहायक
(10)	अपने पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के मासिक वेतन तथा मुआवजा की कोई व्यवस्था, यदि नियम में हो तो उसका ब्यौरा।	प्रशाखा-8 से संबंधित नहीं है। विपत्र शाखा से संबंधित।
(11)	अपने विभिन्न एजेन्सियों के लिए निर्धारित बजट, योजनाओं का विवरण, प्रस्तावित खर्च और भुगतान की गयी रकम का ब्यौरा।	विभाग से संबंधित।

(12)	अनुदान कार्य[मों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया एवं लाभान्वितों की सूची।	केन्द्र प्रायोजित योजना/राज्य योजना अंतर्गत विभिन्न घटकों में अनुदान की राशि कृषकों को भुगतान हेतु प्रत्येक योजना का कार्यान्वयन अनुदेश निर्गत किया जाता है। जिसकी प्रति संबंधित पदाधिकारियों को दी जाती है। लाभान्वितों की सूची जिला कृषि पदाधिकारियों से प्राप्त किया जा रहा है।
(13)	विभाग द्वारा दिए गए रियात, परमिट या अधिकार पत्र पानेवालों का विवरण।	प्रशाखा-8 से संबंधित।
(14)	उक्त सभी सूचनाओं को इलेक्ट्रानिक रूप से उपलब्ध कराना।	विभाग से संबंधित।
(15)	जनता द्वारा सूचना मांगने के लिए उपलब्ध सुविधाओं , इंटरनेट, पुस्तकालय या अन्य व्यवस्था का पूर्ण विवरण।	प्रशाखा-8 से संबंधित नहीं है।
(16)	विभाग के जन सूचना पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं अन्य विवरण।	विभाग से संबंधित है।
(17)	सरकार द्वारा प्रावधानित कोई अन्य सूचना या विवरण। इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष अद्यतन करना।	प्रशाखा-8 से संबंधित नहीं है।